यह निरीक्षण आख्या **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा प्रथम उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा प्रथम उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो. सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.09.2016 से 14.09.2016 के मध्य संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री नवीन कुमार मौर्य, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.09.2014 से 20.09.2014 तक श्री रणवीर सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(आ) वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष/अधिशासी अभियंता/लेखाधिकारी का पदभार संभाले रखा :

1. श्री जे.पी. सिंह (अधिशासी अभियंता) दिनांक 08.08.14 से 31.03.2015 तक
2. श्री आर.के. चौहान (अधिशासी अभियंता) दिनांक 31.07.2015 से वर्तमान तक

ब. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या	
	भाग–2 अ	भाग–2 ब
54/2004–05	1	1, 2
87/2005–06	1, 2, 3	1
69/2006–07	1, 2, 3	1
10/2010–11	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
99/2014–15	1, 2	1, 2

ब. सतत् अनियमिततायें – शून्य

स . अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर–स्थापना		समर्पण/अवशेष	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2013–14	263.84	261.12	414.41	370.95	–	–
2014–15	269.93	236.60	852.59	342.10	–	–
2015–16	217.67	216.98	1063.69	613.39	–	–

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ` 1.25 लाख का व्ययाधिक्य।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के खंड-6 के नियम 316 एवं 317 के अनुसार कोई भी निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा के भीतर ही किया जाना चाहिए, अधिक व्यय की दशा मे यथाशीघ्र सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिये।

इकाई के निर्माण संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चार कार्यों की कुल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ` 42.13 लाख के सापेक्ष ` 47.88 लाख का व्यय किया गया था, अर्थात ` 5.75 लाख का व्ययाधिक्य किया गया। विवरण निम्नानुसार है-

(धनराशि ` लाख में)

क्रम सं	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**व्ययाधिक्य**
1	बनास मल्ला	5.71	9.22	3.51
2	भेलढुंगा पे॰ यो॰	2.70	3.41	0.71
3	खिलानधार तोक	5.51	6.05	0.54
4	धटटूगाड	28.21	29.20	0.99
	योग	**42.13**	**47.88**	**5.75**

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है एवं भेलढुंगा पे॰यो॰ पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वेतन भारित किया गया था, जिसे अन्य योजना पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

भेलढुंगा पे॰ यो॰ एवं खिलानधार तोक कार्यों के संबंध मे उत्तर मान्य नही है, क्योकि इकाई द्वारा इन कार्यो के पुनरीक्षित प्राक्कलनो की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी एवं उक्त दोनों कार्यों पर कुल ` 1.25 लाख का व्ययाधिक्य किया गया था।

अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ` 1.25 लाख के व्ययाधिक्य का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 :` 11.03 लाख की धनराशि अवरूद्ध रखकर व्यपगत (Lapsed Deposit में जमा न किया जाना)।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VI पैरा–622 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा के मूल्य की 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत ठेकेदारों से लेनी चाहिए। डिमाण्ड ड्राफ्ट या सावधिक जमा रसीद या बैंक गारण्टी के रूप में जमानत के तौर पर रखने का प्रावधान है। यह धनराशि तीन वर्ष पूरा होने पर या कार्य पूर्ण होने पर इनमें से जो पहले हो, पर उक्त राशि को ठेकेदार को वापस कर देना चाहिए। ठेकेदार द्वारा जमा धनराशि की मांग न किये जाने पर उसे तीन वर्ष के बाद व्यपगत जमा Lapsed Deposit या शासकीय खजाने में जमा कर दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान डिपोजिट रजिस्टर की नमूना जांच करने पर यह पाया गया कि 50 ठेकेदारों की ` 11.03 लाख की जमानत धनराशि वर्ष 1981 से पड़ी हुइ ै है, अर्थात् 37 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी यह धनराशि विभाग के खाते में पड़ी हुई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर स्वीकारते हुए बताया कि ठेकेदारों द्वारा राशि की मांग नहीं की गई है। धनराशि व्यपगत जमा (Lapsed Deposit) में जमा कर दी जायेगी।

अतः ` 11.03 लाख की धनराशि अवरूद्ध रखकर (Lapsed Deposit) में जमा न करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 3-विभागीय शिथिलता के कारण के तहत NPS नियोक्ता अंशदान के लाभ से वंचित रहना ` 2.21 लाख।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2005 के अनुसार जिन अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ती **अक्तूबर** 2005 के बाद हुई है, उनके वेतन से वेतन+ग्रेड वेतन + भत्ता से 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधानों के अनुसार काटी गयी अंशदान के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, **निर्माण खंड-I, उत्तराखंड पेयजल निगम, कोट**द्वार के अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित अभिलेखो की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि इकाई में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती उनकी नियुक्ति के अगले माह से न कर के 04 माह से 28 माह विलम्ब से की गयी थी। जिस कारण नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला अभिदान (अंशदान) भी विलम्ब से काटा गया था। विभाग की इस चूक के कारण **कुल छः** कर्मचारी अभिदान/अंशदान की धनराशि/लाभ से वंचित रह गये। अतः कुल रू0 2.21 लाख की अंशदान धनराशि इन कर्मचारियों को नही मिली। (विवरण संलग्न)।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा **अपने उत्तर में बताया गया कि 01/10/2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों कि नई अंशदान पेंशन योजना विभाग में लागू किया गया, खाता आवंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र भरकर मुख्यालय को प्रेषित किया गया एवं खाता आवंटन के बाद ही कटौती प्रारम्भ कि गयी।**

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि नई पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अंशदान कि कटौती नियुक्ति के अगले माह से ही प्रारम्भ कर देनी चाहिये।

अतः विभाग की चूक के कारण ` 2.21 लाख का कर्मचारियों को दिये जाने वाले नियोक्ता अंशदान के लाभ से वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर 4 : निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के फलस्वरूप ` 9.17 लाख की धनराशि का अवरूद्ध रहना।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कोटद्वार के निर्माण से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि राज्य सेक्टर (ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल विहीन विद्यालयों में पेयजल संस्तुप्त किए जाने हेतु प्रा0वि0, करथी, जनपद पौड़ी के लिए शासनादेश संख्या–401/उन्तीस (2)/14–2(उ0पे0)/2011–टी0सी0–आई0वी0 दिनांक 03.11.2014 के द्वारा ` 4.09 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2006 में आमगढ़ी, ब्लाक–यमकेश्वर में पानी की आपूर्ति के लिए फालदा कोट से आमगढ़ी तक पाईपलाईन बिछाने के लिए ` 5.08 लाख अवमुक्त किए गए थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों कार्यों के लिए ` 9.17 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि दोनों प्रकरणों में निर्माण कार्यों को लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त, 2016) तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय कि ब्लाक यमकेश्वर में वर्ष 2006 से अर्थात आठ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। इन निर्माण कार्यों के प्रारम्भ न होने के फलस्वरूप कुल अवमुक्त धनराशि ` 9.17 लाख वर्षों से अवरूद्व पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ईकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि करथी में स्कूल बंद होने के कारण एवं ब्लाक यमकेश्वर में योजना पर विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो सका।

अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के फलस्वरूप ` 9.17 लाख की धनराशि अवरूद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- ` 24.34 लाख की धनराशि असमायोजित रहना तथा ` 1.72 लाख श्रम उपकर की वसूली नहीं किया जाना ।

श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी के पत्र संख्याः 1861/छः–24–बी0ए0ओ0सी0/2010 दिनांक 15 जून 2012 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो जिसमें सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य भी सम्मिलित है में नियोजित श्रमिकों को हितलाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। निर्माण श्रमिकों को देय हितलाभ बोर्ड की कल्याण निधि से दिये जाएगें। बोर्ड की कल्याण निधि में धन की व्यवस्था हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में संग्रह करके संग्रहित धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से श्रम भवन हल्द्वानी प्रेषित किया जाएगा।

शासनादेश संख्या 495 /उन्तीस (2)11-2 (03पे)/2011 दिनांक /19-04-11, 653 / उन्तीस (2)13-2 (03पे) 2011 दिनांक 30-05-11 के द्वारा क्रम संख्या 1 से 8 तक पेयजल योजनाए स्वीकृत की गयी थी विवरण संलग्न है। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि क्रम संख्या 1 कसाण पेयजल योजना स्वीकृत धनराशि एवं प्राप्त धनराशि ` 27.44 लाख थी । व्यय धनराशि ` 16.46 लाख है, क्रम संख्या 2 ओडल छोटा योजना स्वीकृत एवं प्राप्त धनराशि ` 13.02 लाख तथा व्यय धनराशि ` 8.78 लाख है यह कार्य जनवरी 2012 मे प्रारम्भ किये गये थे इन कार्यो की भौतिक प्रगति 100% दर्शायी गई है तथा अन्य कार्य पर असमायोजित धनराशि ` 9.12 लाख है । ` 27.44 लाख के सापेक्ष ` 16.46 लाख धनराशि व्यय की गयी है रु 10.98 लाख धनराशि असमायोजित है कार्य की भौतिक प्रगति 100% अंकित की गई है । ` 13.02 लाख के सापेक्ष ` 8.78 लाख धनराशि व्यय की गयी है ` 4.24 लाख धनराशि असमायोजित है कार्य की भौतिक प्रगति 100% अंकित की गई है । कुल असमायोजित ` 9.12+10.98+4.24 =24.34 लाख है, भौतिक प्रगति 100% है और

योजनाओ को हस्तगत नहीं किया गया है । क्रम संख्या 1से 8 तक निर्माण कार्यो पर ` 172.27 लाख व्यय किया गया है व्यय का 1% उपकर = 1.72 लाख की वसूली नहीं की गयी है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे स्वीकार करते हुये बताया कि ग्राम समितियों से समायोजन प्राप्त नहीं हुआ है एवं कार्य भौतिक रूप से पूर्ण है । उपकर के संदर्भ मे अवगत कराया कि उपकर की वसूली नहीं की गयी है क्योकि ग्राम समिति द्वारा बिना लाभ के कार्य कराया जाता है ।

उपकर के संदर्भ मे उत्तर मान्य नहीं है क्योकि नियमानुसार कार्यो की लागत का 1% श्रम कल्याण बोर्ड हल्द्वानी को प्रेसित करना था ।

अत; ` 24.34 लाख की धनराशि असमायोजित रहना तथा ` 1.72 लाख श्रम उपकर की वसूली नहीं करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संजान मे लाया जाता है ।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा प्रथम उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र